



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 202 राँची, सोमवार,

2 मई, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

18 अप्रैल, 2022

“कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना, 2021”

एस० ओ०-

(संख्या-7/सिलि० 10 205/2016 श्र०नि०(मु०का०नि०)- 296--कारखाने में कार्यरत कामगारों को सिलिकोसिस बीमारी होने पर झारखण्ड राज्य में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा झारखण्ड कारखाना नियमावली के अन्तर्गत निबंधित कारखानों के श्रमिकों के हित में राज्य सरकार “कारखाना सिलिकोसिसलाभुक सहायता योजना” लागू करते हुए इसके लिए निम्नानुसार व्यय की अनुमति प्रदान करती है:-

“कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना, 2021”:-

1. परिभाषा:-

- 1) सिलिकोसिस पीड़ित से तात्पर्य मेडिकल बोर्ड से यथा प्रमाणित अभिप्रेत है ।
- 2) आश्रित से आशय किसी कारखाने में वर्तमान अथवा पूर्व में नियोजित/कार्यरत सिलिकोसिसपीड़ित श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार आश्रित माना जायेगा -
 - पत्नी/अशक्त अथवा आश्रित पति
 - अवयस्क पुत्र
 - अवयस्क पुत्री
 - आश्रित माता-पिता
- 3) परिवार से आशय कारखाने में वर्तमान अथवा पूर्व में नियोजित/कार्यरत कामगारों के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र,अवयस्क पुत्री और आश्रित माता-पिता सम्मिलित माने जायेंगे ।

2. योजना का विवरण:-

यह योजना कारखाने में वर्तमान अथवा पूर्व में नियोजित/कार्यरत श्रमिक/लाभुक के सिलिकोसिस से पीड़ित होने अथवा सिलिकोसिस के कारण मृत्यु होने की दशा में सहायता प्रदान करने के लिये प्रभावशील होगा ।

3. पात्रता व शर्तें :-

- 1) योजना का लाभ झारखण्ड राज्य में स्थित वे सभी स्थापनायें जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 प्रभावशील होगा,में वर्तमान अथवा पूर्व में नियोजित/कार्यरत श्रमिकों को प्रदान किया जायेगा ।
- 2) कारखाना सिलिकोसिस लाभुकसहायता योजना पीड़ित श्रमिक के इलाज हेतु मेडिकल बोर्ड अथवा श्रम विभागीय कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जायेगा ।

4. देय सहायता राशि:-

सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक/लाभुक को निम्नानुसार सहायता राशि दी जायेगी ।

- 1) सिलिकोसिस पीड़ित होने पर 1,00,000/-(एक लाख रुपये) ।
- 2) सिलिकोसिस से पीड़ित की मृत्यु होने पर 4,00,000/-(चार लाख रुपये) ।

5. आवेदन और भुगतान की प्रक्रिया:-

- (1) सिलिकोसिस पीड़ित लाभुक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित द्वारा एवं पीड़ित होने की दशा में स्वयं लाभुक द्वारा संबंधित जिला के उपायुक्त कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे:-

- (अ) लाभुक परिचय पत्र/पुस्तिका की प्रति ।
- (ब) मेडिकल बोर्ड का सिलिकोसिस संबंधी प्रमाण पत्र ।
- (स) बैंक खाते का विवरण
- (2) लाभुक अथवा उसके आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन की अधिकृत अधिकारी द्वारा यथोचित जाँच कर, उसके पूर्ण एवं संतोषजनक पाये जाने पर सहायता राशि आवेदन की तिथि से 30 दिनों में बैंक खाता के माध्यम से दी जायेगी ।
6. **आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि:-** सहायता राशि हेतु आवेदन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने की तिथि से 6 माह की अवधि तक तथा मृत्यु होने की दशा में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि तक किया जा सकेगा। विशेष स्थितियों में, विलम्ब का संतोषप्रद व उचित कारण स्पष्ट करने पर, उपायुक्त द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है, परन्तु किसी भी परिस्थिति में आवेदन पर शिथिलता करने की समय-सीमा मृत्यु होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी ।
7. **सहायता राशि के लिए अपात्रता:-** वैसे श्रमिक, जो खान व खदानों में कार्य करते हैं तथा जिन पर खान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हैं अथवा भवन एवं अन्य सनिमार्णकर्मकार अधिनियम 1996, की धारा-2(डी)में परिभाषित भवन एवं अन्य सनिमार्ण कार्य में शामिल श्रमिक उक्त सहायता राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे ।
8. **सक्षम अधिकारी:-** सहायता राशि की स्वीकृति के लिये संबंधित जिले के उपायुक्त सक्षम अधिकारी होंगे ।
9. **विसंगति का निराकरण:-** योजना में उल्लिखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जिले के उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—(अस्पष्ट)

सरकार के अवर सचिव ।
